प्रकरण सं. .... उनवान

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मोटन v/s कैलाश	
3/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० प्रतिवादी अधि०उप० प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 9/1/25 को पेश हो।	
9/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० प्रतिवादी अधि० उप० प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 17/1/25 को पेश हो।	
17/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी- प्रतिवादी अधि. उप.। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड की प्रति पेश कर निवेदन किया कि वादी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार नहीं है। वादी द्वारा अपने हिस्से की सहखातेदारी भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर दिया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अनुसार वादी का खातेदार होना आवश्यक है। वादी अधिवक्ता द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की प्रति का अवलोकन कर स्वीकार किया कि वादी द्वारा भूमि का अन्तरण किया जा चुका है।	
	उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा की गई बहस तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन एवं मनन उपरान्त प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित होता है कि वादी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अनुसार भूमि का विभाजन सह अधिकारिता के मध्य ही होना सम्भव होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।	
	17/1/25 सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मोहन लाल पुत्र मूला कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र कन्हैयालाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मथुरा लाल पुत्र कन्हैयालाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बंशी लाल पुत्र कन्हैयालाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. दुर्गा पुत्री कन्हैयालाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. लाड पुत्री कन्हैयालाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. शान्ति लाल पुत्र कन्हैयालाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. सीता पुत्री कन्हैयालाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. मांगी पत्नी कन्हैयालाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. छोटू पुत्र कन्हैयालाल कुम्हार उम्र नाबालिग अवयस्क जरिये संरक्षक माता मांगी पत्नी कन्हैयालाल कुम्हार निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. शंकर पुत्र चुना कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. छीतर पुत्र चुना कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 49/2021 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जोशी उपस्थित । प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्यामलाल आगाल उपस्थित– इस वाद में आज तारीख 17.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अनुसार भूमि का विभाजन सहअभिधारियों के मध्य ही होना संभव होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

22/1/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा